निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राजस्थान

क्रमांकः एनवीएचसीपी/2022–23/648 दिनांक 23.01.2023

....
....
....

विषय : राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीएचसीपी) में वित्त विभाग की दरों पर मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु सूचना।

राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीएचसीपी) के राज्य वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण अधिकारी के लिये मासिक किराये के आधार पर वित्त विभाग राजस्थान सरकार की निर्धारित दरों पर पर स्वंय की स्वामित्व वाले वाहन कार किराये पर लेने के प्रयोजनार्थ व्यक्ति (वाहन स्वामी), फर्मो एवं ट्रेवल एजेन्सीज से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

क्र.स.	कार्य का नाम	वाहनों की कुल संख्या
1.	किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।	01

प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.20223 को प्रातः 11:00 बजे तक कमरा नम्बर 10 राज्य वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण प्रकोष्ठ नई बिल्डिंग, स्वास्थ्य भवन में जमा कराये जा सकते है। प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावें, जिस पर स्पष्ट रूप से "मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने" हेतु प्रार्थना पत्र लिखा होना चाहिए। निविदा/प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है :–

1. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
2. वाहन के बीमा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. वाहन का पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. वाहन चालक के वैध लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति।
6. वाहन चालक का फोटो।
7. वाहन मालिक के बैंक खाते की पासबुक/चैक की प्रमाणित प्रति।
8. अनुबन्ध करते समय वाहन के समस्त मूल कागजात प्रस्तुत करने होंगे, जो कमेटी द्वारा सत्यापन उपरान्त वापस कर दिये जायेंगे।

<u>वाहन के संचालन हेतु निम्न शर्ते मान्य होगीः–</u>

1. वाहन की मरम्मत, पीओल आदि व्यय वाहन के मालिक द्वारा ही वहन किये जायेगें।
2. मासिक दरों में जीएसटी यदि मान्य है तो पृथक से अंकित करें।
3. वाहन को आवश्यकतानुसार कभी भी जयपुर से बाहर भेजा जा सकता है, इस हेतु पार्किग, टोलटैक्स, इन्टरस्टेट टैक्स इत्यादि का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से देय होगा।

4. वाहन प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे अथवा अधिकारी के द्वारा सूचित समय से कार्य समाप्त तक मानी जावेगी।
5. वाहन माह के सभी दिवसों पर उपलब्ध करवाना होगा।
6. वाहन के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
7. वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अतिआवश्यक है, तथा फोन की कनेक्टिविटी 24 घण्टे चालु रखनी होगी।
8. जयपुर मुख्यालय के बाहर राशि विश्राम करने पर 300 प्रति रात्रि चार्जेज अतिरिक्त देय होगा।
9. वाहन का मॉडल वर्ष 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। मॉडल SUV होना चाहिए।
10. वाहन टैक्सी परमिट का होना चाहिए।
11. यदि वाहन चालक किसी दिन स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है, वित्त विभाग के सर्कुलर अनुसार राशि की कटौति की जावेगी।
12. वाहन न्यूनतम प्रतिमाह 2500 कि.मी. तक चलेगा।
13. वाहन यदि प्रतिमाह 2500 कि.मी. से अधिक चलता है, तो वित्त विभाग के सर्कुलर मे अंकित दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।
14. यदि वाहन मालिक वाहन हटाना चाहता है, तो उसकी सूचना 01 माह पूर्व लिखित में विभाग को देनी होगी।
15. वाहन या वाहन चालक की सेवाऐं सन्तोषप्रद नहीं होने पर वाहन तत्काल हटाया जा सकता है।
16. अनुबंधित वाहन की किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने की जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का स्वंय का ही होगा।
17. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग की सूचना लॉग बुक ड्यूटी स्लीप में प्रतिदिन अंकित की जावेगी। यात्रा समाप्ति पर कुल किलोमीटर वाहन जिसका प्रयोग किया गया है, के सत्यापन का हस्ताक्षर संबंधित प्रयोग कर्ता अधिकारी से मय उनके नाम एवं पद कराने होंगे।
18. वाहन के साथ हर समय पंजियन/रोड टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र comprehensive बीमा, प्रदुषण एवं आवश्यक अनुमोदित वाहन मालिक का स्वयं का होना चाहिए।
19. फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने वाहन के किलोमीटर की गणना स्वास्थ्य भवन/राजकीय कार्यालय से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी अंतिम गन्तव्य स्थान/स्वास्थ्य भवन तक ही गणना मान्य होगी।
20. वाहन कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा, लेकिन वाहन खडे करने का जोखिम अनुमोदित वाहन मालिक का स्वंय होना चाहिए।
21. वाहन चालक नियमानुसार निर्धारित स्वच्छ ड्रेस में तथा वाहन भी साफ, स्वच्छ होगा।
22. वाहन चालक को विभिन्न कानूनो नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें वाहन मालिक द्वारा स्वंय के स्तर पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का कोई दायित्व नहीं होगा।
23. वाहन चालक की किस भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार स्वयं वाहन मालिक द्वारा ही वहन किया जावेगा। राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम इसके लिये किसी भी प्रकार से सहयोगी एंव जिम्मेदार नहीं होगा।

24. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा देय हो, की कटौती के पश्चात् ही किया जावेगा।
25. प्रस्ताव का स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (वायरल हैपेटोइटिस नियंत्रण) का होगा।
26. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पडती है तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नहीं।
27. उक्त प्रयोजनार्थ यदि एक से अधिक व्यक्ति (वाहन स्वामी/फर्म/ट्रेवल्र्स एजेंसी सोर्टलिस्ट की जाती है तो ऐसी स्थिति में आमंत्रणदाता के कार्य अनुभव को वरीयता देते हुए चयन किया जा सकेगा।
28. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम स्टेट प्रोग्राम कमेटी (वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण) का निर्णय अंतिम होगा।
29. उक्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र पर वित्त विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में अंकित शर्ते एवं निर्देश अनुबंधित व्यक्ति (वाहन स्वामी), फर्मो एवं ट्रेवल्स एजेन्सीज पर प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा प्रस्तावों को स्वीकर करने उपरान्त वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी करने के 03 दिवस में 500/– रू के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र एवं 2500 किमी तक वाहन के संचालन हेतु 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 1895.00 (अक्षरे एक हजार आठ सौ पिच्चानवे रूपये मात्र) जमा करानी होगी। वाहन के ओरिजनल दस्तावेज भी अनुबंध के समय प्रस्तुत करने होंगे। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार्य नही होंगे।
30. निविदा फाइनल करने से पूर्व वाहन का अवलोकन किया जावेगा एवं वाहन की स्थिति का आंकलन करके ही निविदा फाइनल की जावेगी।

(डॉ. अजय चौधरी)
सदस्य सचिव,
स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीएचसीपी)
एवं उप निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एनवीएचसीपी/2022–23/648 दिनांक 23.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान।
2. सलाहकार (आईटी), एनएचएम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वैबसाईट www.rajswasthay.nic.in पर उपलब्ध करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अजय चौधरी)
सदस्य सचिव,
स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीएचसीपी)
एवं उप निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर